भूमि अधिग्रहण के लिए बढ़ाएं मुआवजा

औद्योगिक विकास की बैठक में सीएम का निर्देश

- नवंबर में 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी : पांच लाख करोड़ का आएगा निवेश
- उद्योगों को आवंटित भूमि तीन साल तक उपयोग न किए जाने पर होगी रद्द

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सामंजस्य के साथ होनी चाहिए। अधिग्रहण जरूरी हो तो अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। अपनी भूमि से हर किसी का भावनात्मक संबंध होता है। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे की दर में बढ़ोतरी पर विचार करें।

बृहस्पतिवार को औद्योगिक विकास विभाग की बैठक में सीएम ने पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक की निजी निवेश परियोजनाओं के साथ नवंबर में 5वें भूमि पूजन समारोह (ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी) के आयोजन की तैयारी के निर्देश दिए।

सीएम ने कहा भूमि अधिग्रहण के लिए उत्पीड़न की शिकायत नहीं आनी चाहिए। भूमि आवंटन के बाद भूमि का समुचित उपयोग न करने वाली औद्योगिक इकाइयों का आवंटन अधिकतम तीन वर्ष के बाद रद्द कर दिया जाए। भूमि अन्य निवेशक को आवंटित की जाए। निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टल को अधिक सहज व सरल बनाएं।

निवेशक छोटा हो या बड़ा, कार्यालयों के चक्कर किसी को न लगाना पड़े। सीएम ने 22 सितंबर से प्रभावी होने जा रहे जीएसटी सुधारों का लाभ हर नागरिक को मिलना सुनिश्चित करने को भी कहा।

सीएम आवास में औद्योगिक विकास विभाग की बैठक करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। -सूचना विभाग

बीते साढ़े आठ वर्षों में 15 लाख करोड़ से अधिक की औद्योगिक परियोजनाएं धरातल पर उतरीं

बीते साढ़े आठ वर्षों में चार भूमि पूजन समारोह आयोजित हो चुके हैं। इसके जरिये 15 लाख करोड़ से अधिक की औद्योगिक परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं और 60 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है।

- सीएम ने कहा कि सभी विभाग हर निवेश प्रस्ताव की प्रगति की नियमित मानीटरिंग करें। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में से किसी एक क्षेत्र में फिनटेक हब विकसित किया जाए। यहां बड़े बैंकिंग संस्थाओं के कार्यालय हों। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात को और बेहतर करने के प्रयास किए जाएं।

नई जीएसटी दरों से बढ़ेगी जीडीपी : योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 सितंबर से लागू हो रही जीएसटी के नई दरों को नेक्स्ट जेन जीएसटी का नाम देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का आम जनता के लिए दीपावली का बड़ा उपहार है। उन्होंने कहा, नई जीएसटी दरों के लागू होने से यूपी को सबसे अधिक फायदा होगा, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है। >> भीतर पढ़ें

हर जिले में बने रोजगार जोन

सीएम ने सभी जिलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित विशेष रोजगार जोन के विकास की कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए कहा कि सभी जिलों में कम से कम 100 एकड़ में रोजगार जोन का विकास होना है। इसके लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यह क्षेत्र उद्योग, उद्यमिता, नवाचार, निवेश, कौशल विकास और रोजगार का हब होगा। यह कार्ययोजना पूरे देश में एक मॉडल बनेगी।

8000 नई इकाइयों का लक्ष्य

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्माण क्षेत्र का पांच लाख करोड़ का सकल मूल्य वर्धन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए फैक्टरी अधिनियम के अंतर्गत 8000 नई एवं विद्यमान इकाइयों का पंजीकरण आवश्यक है। अभी तक 1354 इकाइयों का पंजीकरण हो चुका है। सीएम ने श्रम सुधारों की प्रक्रिया को और तेज करने और अप्रयुक्त औद्योगिक भूखंडों को सक्रिय करने के निर्देश दिए।